मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498
ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएँ के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियो के लिए स्टाफ नर्स के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन परीक्षा–2013

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि		20.05.2013
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि		18.06.2013
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि		19.06.2013
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि		28.06.2013
परीक्षा दिनांक व दिन		21.07.2013 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	सीधी भर्ती के पद हेतु	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए –500/– अनु. जाति/अनु. जनजाति/निःशक्तजन के लिए –250/–
ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 50/– देय होगा।		

समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉ भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
21.07.2013 (रविवार)	प्रातः 11:00 बजे से	प्रातः 11:00 बजे से	प्रातः 11:00 से 11:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 11:10 बजे	प्रातः 11:10 से 11:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 11:15 से 01:15 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :–

1. मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये हॉर्डकॉपी में आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप (नियम पुस्तिका के प्रारूप–3) में संचालक, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाऐं, सतपुडा भवन, पॉचवी मंजिल, भोपाल (म.प्र.) को प्रेषित करना होगा।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
3. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
4. परीक्षा कक्ष में सेल्युलर, मोबाईल फोन, केल्कूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
5. ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जवाबदारी/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
6. परीक्षार्थियों को परीक्षा हाल में फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/डाइविंग लाइसेस/आयकर विभाग का पेनकार्ड/पासपोर्ट/बैंक पासबुक/शासकीय संस्था द्वारा जारी किया हुआ फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाऍं के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियो के लिए स्टाफ नर्स के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन परीक्षा–2013

विषय–सूची

स.क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	अध्याय–1 – संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाऍं, भोपाल के विभागीय चयन नियम	3–7
2.	अध्याय–2 – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	8–15
3.	अध्याय–3 – विस्तृत पाठ्यक्रम	16–23
4.	प्रारूप–1 – प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन	24
5.	प्रारूप–2 – आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन	25
6.	प्रारूप–3–मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसेः–बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप	26

अध्याय–1

विभागीय चयन नियम

1.1 चयन संबंधी अनुदेश :

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऍ के पत्र क्रमांक 9/नर्सिंग/सेल–1/2013/331 दिनांक 08.04.2013 के अनुसार स्टाफ नर्स के सीधी भर्ती के 2000 पदो पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2013 के लिए आवेदन कर रही समस्त महिला अभ्यर्थियों पर यह नियम/निर्देश लागू होंगें। पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

1.2 परिभाषाऍ :–

''आरक्षण'' से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति,मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमे का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनूसूचित जातियों के रुप में विनिर्दिष्टि किया गया है।

''अनुसूचित जन जाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे सविधांन के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक –एफ–8–5 पच्चीस–4–84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में ।

''भर्ती का वर्ष'' से अभिप्रेत है किसी वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि ,जिसके भीतर ऐसी रिक्त के प्रति सीधी भर्ती की प्रकिया आरम्भ की जाती है।

''मंडल'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल।
''विभाग'' से अभिप्रेत है वह कार्यालय/विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।

1.3 रिक्त पदों की तालिका :–

स्टाफ नर्स के सीधी भर्ती के पदों का विवरणः–

स.क्र.	श्रेणी	पदों की संख्या
01	अनारक्षित	1000
02	अनुसूचित जाति	320
03	अनुसचित जनजाति	400
04	अन्य पिछडा वर्ग	280
	योगः–	2000

नोटः– 1. स्टाफ नर्स के समस्त रिक्त पद महिला अभ्यर्थियों के लिए है। जिसमें निःशक्तजनों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई भी पद आरक्षित नही है।

2. म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.1.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क0796/982/2012/आ0प्र0/एक दिनांक 26.12.12 के पालन स्वरूप म0प्र0 के विशेष आदिम जनजाति समुदायो जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया के ऐसे अभ्यर्थी जो नियम पुस्तिका की कंडिका 1.4 में अंकित

निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हैं, वे अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप (नियम पुस्तिका के प्रारूप–3) में आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रो को संलग्न करते हुए सीधे नियुक्ति संबंधी आगामी कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाऐं, सतपुडा भवन, पॉचवी मंजिल, भोपाल (म.प्र.) को प्रेषित करेगे। परीक्षा की तिथि के पूर्व विभाग द्वारा उक्त आवेदनों का परीक्षण/नियुक्ति संबंधी कार्यवाही कर अनुसूचित जनजाति संवर्ग के संशोधित पदो की संख्या से मण्डल को अवगत कराया जाएगा जिसके संबंध में मण्डल द्वारा एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन भी जारी किया जाएगा यदि पदो की संख्या में कोई परिवर्तन होता है। तदोपरान्त विभाग से प्राप्त अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदो तथा अन्य श्रेणियो के पदो के लिए मण्डल द्वारा परीक्षा आयोजन से संबंधित आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के उपरान्त विशेष आदिम जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियो की ओर से प्राप्त आवेदनो के परीक्षण/नियुक्ति संबंधी विभागीय कार्यवाही के उपरांत नियम पुस्तिका की कंडिका 1.3 में उल्लेखित अनुसूचित जनजाति के पदो की संख्या परिवर्तनीय होगी जो अन्य अनुसूचित जनजातियो के अभ्यर्थियो के लिए बंधनकारी होगी। बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियो की नियुक्ति उपरांत शेष रिक्तियों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियो के लिए म0प्र0 शासन के आरक्षण नियमानुसार परीक्षा परिणाम मण्डल द्वारा घोषित किया जाएगा।

1.4 पदनाम, वेतनबैंड + ग्रेडपे तथा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :–

स.क्रं.	पदनाम व वेतनबैंड + ग्रेडपे	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
1.	स्टाफ नर्स 5200–20200+गेड पे 2400/–	1. अभ्यार्थी को माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश अथवा समकक्ष बोर्ड से 12 वी (10+2) कक्षा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र व जीव विज्ञान विषयों से उत्तीर्ण तथा नर्सिग जी.एन.एम. में डिप्लोमा होना आवश्यक है। अथवा डिग्री कोर्स बी.एस.सी. नर्सिंग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. अभ्यर्थी का म.प्र. नर्सिग कौसिल में आर.एन.आर.एम. (रजिस्टर्ड नर्स रजिस्टर्ड मिडवाईफ) का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है।

नोटः– 1. आवेदक के पास अर्हतायें आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। इसके बाद किसी भी दिनांक को अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिए विचारित होने की पात्रता नही रखेंगें।

2. जिन आवेदकों द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण कर रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हो वे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के आधार पर परीक्षा में शामिल हो सकते है। किन्तु नियुक्ति के समय रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति हेतु अपात्र माना जावेगा।

1.5 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :–

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :–

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या
(ख) आवेदक को सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या
(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या

(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

टिप्पणी :–

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण–पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बल जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण–पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।
   (i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।
   (ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।
   (iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।
2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

(II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

1.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :–

अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2014 को न्यूनतम 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी–3–11/12/1/3, दि. 03.11.2012 एवं पत्र क्र. सी–3–11/2012/3/एक दिनांक 20.11.12 एवं परिपत्र क्रमांक 1930/2547/2012/1/3 दिनांक 26.11.12 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयुसीमा की गणना निम्नानुसार है :–

स.क्रं.	आवेदक एवं श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
2.	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)(विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
3.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष

1.7 चयन का आधार :–

स्टाफ नर्स के पदों पर चयन हेतु मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा केवल लिखित परीक्षा ली जावेगी। मण्डल द्वारा साक्षात्कार/प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का (कुल 100 अंक) व दो घंटे की समयावधि का एक प्रश्न–पत्र हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में होगा। प्रश्न–पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्न डिप्लोमा नर्सिंग (जी.एन.एम.) स्तर के रहेंगे। प्रश्न–पत्र के विस्तृत पाठ्यक्रम हेतु नियम पुस्तिका का अध्याय–3 देखें।

1.8 प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची :–

मण्डल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार/संवर्गवार पदों की संख्या के अनुसार मण्डल द्वारा प्रावीण्य व प्रतीक्षा सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। विभाग द्वारा मेरिट के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से जिला आंवटित करने के उपरांत आवंटन आदेश संचालनालय द्वारा दिया जावेगा। आवंटन आदेश के परिपालन में संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं द्वारा आवंटित उम्मीदवारों को समस्त मूल दस्तावेजों का परीक्षण कर सही पाये जाने पर एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा।

1.10 पारस्परिक वरीयता :

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी, परन्तु दो व्यक्तियों के प्राप्तांक समान होने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

1.12 सत्यापन/परीक्षण के समय आवश्यक प्रमाण–पत्रों का विवरण :–

1.12.1 स्थाई निवासी प्रमाण–पत्र :–

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में नायब तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र धारक होना चाहिए।

1.12.2 जाति प्रमाण–पत्र :–

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पास अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।

1.12.3 भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण–पत्र :–

भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के उम्मीदवार के पास शासन के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।

1.13 दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों का परीक्षण व चरित्र सत्यापन :

लिखित परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा जारी प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा चयन/नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व समस्त मूल दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों आदि का सत्यापन/परीक्षण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

विभाग द्वारा चाहे गए समस्त प्रपत्र/दस्तावेज/प्रमाण–पत्र मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप अनुसार अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति/सत्यापन/परीक्षण के समय संबंधित विभागों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है।

1.14 अभ्यर्थिता/चयन के संबंध में निर्हर्ताऍं/जानकारी :–

(क) पररूपधारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जायेंगे।

(ख) महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

(ग) कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।

(घ) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

(ङ) शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य न पाया जाये।

(च) फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो।

1.15 नियुक्ति की शर्तें :

चयनित अभ्यर्थियों पर संबंधित विभाग के विभागीय नियम व नियुक्ति की शर्तें लागू होगी, जिनका उन्हें पालन करना होगा। नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा तथा नियुक्ति के समय विभाग के नियमानुसार अनुबंध–पत्र का निष्पादन किया जावेगा।

1.16 यात्रा भत्ता का भुगतान :–

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ–6–1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 19.09.2002 के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने पर संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल द्वारा यात्रा भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

1.17 न्यायिक क्षेत्राधिकार :–

इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेह संबंधित विभाग होगा तथा इसका न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तक सीमित होगा।

––––0––––

अध्याय – 2

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
संयुक्त परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

महत्वपूर्ण निर्देश :–

2.1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जायेंगे।

2.2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रवेश/चयन निरस्त किया जा सकेगा।

2.3 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की व्यवस्था :–

(1) वेबसाईट www.vyapam.nic.in अथवा www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(2) संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएँ के अंतर्गत स्टाफ नर्स के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन परीक्षा–2013 (केवल लड़कियों के लिए) ऑनलाईन आवेदन–पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क को नकद निर्धारित शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ी जाति के लिए 500/– तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन के लिए 250/– तथा अतिरिक्त क्योस्क शुल्क रु. 50/– का भुगतान कर भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(3) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.4 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है।

2.5 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने संबंधी निर्देश :–

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय मोबाईल नम्बर या ई–मेल आई.डी. (दोनों या कोई एक) की जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिस पर ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंध में आवेदक को एम.पी. ऑनलाईन द्वारा एक सिक्यूरिटी कोड/पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे आवेदक द्वारा गोपनीय रखा जाना होगा। ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन की आवश्यकता पड़ने पर संशोधन अवधि के दौरान उक्त सिक्यूरिटी कोड/पासवर्ड का उपयोग कर ही संशोधन किया जाना संभव हो सकेगा। किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन–पत्र के संबंध में कम्प्यूटर द्वारा सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा गया है, जिसे यदि निरस्त करना चाहते हैं, तो उपलब्ध कराए गए पासवर्ड का उपयोग कर पूर्व में भरे गये आवेदन को निरस्त करने हेतु विकल्प को ''हाँ'' करना होगा। तभी नया ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की सुविधा उपलब्ध होगी। अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन–पत्र ही मान्य होगा। यदि आवेदक पासवर्ड का उपयोग कर पूर्व में भरे आवेदन को निरस्त करता है तो आवेदन पत्र में उल्लेखित ई–मेल, आई.डी./मोबाईल नम्बर पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी, साथ ही नवीन आवेदन पत्र की हार्डकापी में पूर्व में निरस्त आवेदन के संबंध मे जानकारी दी जाएगी। इस स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन के साथ आवेदक द्वारा भुगतान शुल्क राजसात किया जावेगा।

2.6 ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देशः–

(i) फोटोग्राफ 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. आकार का रंगीन, अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(ii) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।

(iii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(vi) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

(vii) उपरोक्त निर्धारित मापदण्ड की फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान तीनों की एक ही इमेज jpg फार्मेट में स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा।

2.7 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

2.7.1 ऑनलाईन आवेदन दिनांक 20.05.2013 से 18.06.2013 की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

2.7.2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :– (अ) इंटरनेट केफे अथवा (ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने की विधि :

2.7.2.1 आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध Citizen Services (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत Application क्लिक कर Vyapam लिंक के अंतर्गत संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएँ के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियो के लिए स्टाफ नर्स के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन परीक्षा–2013 परीक्षा से संबंधित में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/Instructions तथा परीक्षा नियम/Examination Rules उपलब्ध होंगे। निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु Continue बटन को क्लिक करें ।

2.7.2.2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान तीनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान अंगूठे का निशान, फोटो चिपकाएं तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

2.7.2.3 ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन–पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन–पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :–

- क्रेडिट/डेबिट कार्ड।
- इंटरनेट बैंकिंग।

2.7.2.4 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतानः–
आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.7.2.5 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :–
आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.7.3 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :–
एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन–पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जावेगा। कियोस्कधारक द्वारा आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान स्केन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही–सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन–पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.7.3.2 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन–पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।सकता है।

नोटः– ऑनलाईन आवेदन–पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. Online के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755-4019401, 02, 03, 04, 05 & 06 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.8 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था :–

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

2.8.1 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

2.8.2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रू. 100/–एवं पोर्टल शुल्क रू. 50/– का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

2.8.3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को अन्य प्रविष्टियों सहित फोटो, हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन–पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

2.8.4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा।

2.9 ऑनलाईन आवेदन–पत्र का निरस्तीकरण :–

ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर नियमपुस्तिका में उल्लेखित निर्धारित मापदंड के अनुरूप न होने अथवा फोटो व हस्ताक्षर अनुपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र को निरस्त किया जायेगा तथा ऐसे आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन–पत्र अमान्य होने की जानकारी प्रवेश–पत्र में मण्डल की वेबसाईट पर दी जायेगी। एक बार आवेदन पत्र निरस्त होने के उपरांत किसी भी स्थिति में मान्य नही किया जावेगा।

2.10 परीक्षा प्रवेश–पत्र (Test Admit Card) :-

नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्रों प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराए जायेंगे। प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

प्रवेश–पत्र प्राप्त करने की प्रक्रियाः–

ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट– प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.11 परीक्षा शहर :–

लिखित परीक्षा केवल भोपाल, ग्वालियर, इंदौर तथा जबलपुर शहरों में आयोजित की जावेगी। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त करने का अधिकार मण्डल सुरक्षित रखता है।

2.12 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :–

प्रवेश–पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/डाइविंग लाइसेस/आयकर विभाग का पेनकार्ड/पासपोर्ट/बैंक पासबुक/शासकीय संस्था द्वारा जारी किया हुआ फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

2.13 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.14 परीक्षा का प्रश्न–पत्र :–

लिखित परीक्षा मे वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों (प्रत्येक प्रश्न एक अंक का) व दो घंटे की अवधि का एक प्रश्न–पत्र होगा, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

2.15 अनुचित साधन (Unfair Means, UFM) :–

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :– निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

(क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
(ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
(ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
(घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
(ड.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
(च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।
(छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
(ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
(झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
(ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
(ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा ।

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

2.16 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.17 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, प्रश्नों का निरस्तीकरण एवं बदले में प्रदान किये जाने वाले अंक :–

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4. कोई भी विकल्प सही न हो।
5. यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।

प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200 - 2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :– सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.18 प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन :–

प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप–1 (प्रश्न पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरांत एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

2.19 मॉडल आंसर्स के संबंध में अभ्यावेदन/फायनल आंसर्स :–

(1) मॉडल आंसर्स :– परीक्षा के सफल आयोजन के 01 दिन उपरांत प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर मॉडल उत्तर (Model Answers) के रूप में मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। मॉडल आंसर में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण उत्तरों के संबंध में परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां निर्धारित प्रारूप–2 (मॉडल उत्तर के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा उपरांत मॉडल आंसर्स मंडल की वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर मंडल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी।

(2) फायनल आंसर्स :– प्रारूप 01 में प्रश्न पुस्तिका के त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों तथा प्रारूप 02 में मंडल द्वारा प्रदर्शित माडल उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को ''की'' समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। ''की'' समिति द्वारा सभी अभ्यावेदनों सें संबंधित प्रश्नों/उत्तरो के पूर्ण परीक्षण उपरांत निराकृत करने के पश्चात् फायनल आंसर्स (Final Answers) तैयार किये जायेगे, इस प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक 2.15 अनुसार ''की'' समिति द्वारा प्रश्नों को निरस्त भी किया जा सकेगा। समिति द्वारा उन प्रश्नों/उत्तरो के संबंध में कोई विचार नही किया जायेगा जिन पर अभ्यावेदन प्राप्त नही हुए है। इस प्रकार तैयार फायनल आंसर्स (Final Answers) के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये फायनल आंसर्स (Final Answers) परिणाम उपरांत मण्डल की बेवसाईट पर उपलब्ध रहेगे। ''की'' समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा सभी आवेदकों के लिये बंधनकारी होगा।

2.20 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :–

अध्याय–1 एवं 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (Subject wise Model Answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

2.21 अंक सूची की उपलब्धता :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के आधार पर उल्लेखित वेबसाईट से अंकसूची प्राप्त/मुद्रित कर सकते हैं। मण्डल द्वारा डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा तथा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है।

2.22 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाऍं :–

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–8–2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाऍं प्रदान की जायेगी :–

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :–

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाऍं :–

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :–

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :—

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।

2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ—पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

(द) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाऍ :—

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाऍ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।

2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

2.23 मण्डल का क्षेत्राधिकार :—

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा। परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

2.24 अभिलेखों का संधारण :—

मण्डल द्वारा परीक्षा आयोजन उपरांत अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह तक परीक्षा से संबंधित अभिलेखों का संधारण किया जायेगा। इसके पश्चात् परीक्षा से संबंधित समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों को रद्दी घोषित व नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.25 न्यायिक क्षेत्राधिकार :—

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तक ही सीमित रहेगा।

———0———

अध्याय – 3

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

SYLLABUS FOR STAFF NURSE SELECTION TEST

Nutrition	Classification of food	• Classification by Chemical Composition - Carbohydrates - Proteins - Fats - Minerals - Vitamins - Water
		• Classification by predominant functions - Body building food - Energy giving food - Protective food
		• Classification by nutritive value - Cereals and millets - Pulses(Legumes\0 - Vegetables - Nuts and oil seeds - Fruits -Animal food - Fats and oils - Sugar and Jaggery - Condiments and spices - Miscellaneous food
	Normal dietary requirements and deficiency diseases of each of the constituents of food.	- The calorie - Nutritive value of food items and their measures used. - Balanced diet - Method of calculating normal food requirements, influence of age, sex and activity - Factors affecting selection and planning of meals. - Budgeting for food - Low cost menu - Diseases caused by deficiency of protein, fat, carbohydrates, minerals and vitamins.
	Introduction of Diet Therapy	- Methods of modifying diet in relation to calorie value by increasing or decreasing if constituents. - Diet and the patients -Feeding of helpless patients.
Mental Health/ Psychiatr ic Nursing	Community Mental Health	- Prevention of mental illness (Preventive Psychiatry) during childhood, adolescence, adulthood and old age.
	Mental Disorders and Nursing Interventions.	- Etiology - various etiological theories (genetics, biochemical, psychological, etc.) - Classification of mental disorders - Organic mental disorder-Acute brain syndrome.

		- Chronic brain syndrome.
	Forensic Psychiatry / Legal Aspects	- Legal responsibilities in care of mentally sick patients - Procedure for admission and discharge from mental hospital, leave of absence. - Indian Lunatic Act 1912 - Narcotic Drugs and Psychotropic Act 1985
	Altered Immune Response	- Review of Normal Immunity (Review Unit IV of microbiology) -Altered Immune response, hypersensitivity and allergy. - Nursing Immune disease - Graft versus host disease.
	Nurse's role in Management of Fluid, Electrolyte and Acid Base Balance	- Water content of body. - Homeostasis - Review mechanism of controlling fluid and electrolyte movement. - Review regulation of fluid and electrolyte. - Fluid and electrolyte imbalance and their therapeutic management.
	Management of Patients in Pain	- Nursing management. - Analgesic drugs - Therapeutic approaches to pain.
	Operation Theatre Technique	PHYSICAL ENVIRONMENT - Operation theatre: cleaning of rooms, tables, trolleys, lights and other equipments. - Pre-operative holding area. THEATRE TECHINQUE - Positioning of patient for various surgical procedure. PREPARATION OF THEATER EQUIPMENT & SUPPLIES - Sterilization - Needles, sutures-types and their uses. - Role of a nurse in care of patients in the theatre.
	Management of Patient Undergoing Surgery	Medical Surgical Nursing - I
	Nursing Management of Patient with Impaired Respiratory Function and Gaseous Exchange.	- Assessment of respiratory function. - Management of patient with impaired respiratory function. - Respiratory intensive care. - Management of patients with disorders of upper respiratory tract. - Management of patients with disorders of the chest and lower respiratory tract.
	Nursing Management of the Elderly	- Assessment of elderly. - Ageing process - Helping in promoting wellness and self care. - Health problems in elderly.
Medical Surgical Nursing	Nursing Management of Patients with Disorders of	- Assessment - Disorders of breast and breast cancer

- II	Breast	- Management of patient undergoing surgery for cancer breast.
	Nursing Management of Patients with ophthalmic Disorders and Diseases	- Assessment of function of eyes. - Diseases and disorders of eyes and their management. <u>HOSPITAL CORNEA RETRIEVAL</u> - Motivation for eye donation. - Obtaining consent for eye donation. - Transplantation of human organs bill and eye collection. - Eye banking in India.
	Nursing Management of Patients with Disorders and Disorders and diseases of ear, Nose and throat.	- Assessment of the function of ear, nose and Throat. - Disorders and diseases of the ear nose and throat. - Management of disorders and diseases of ear, nose and throat
	Nursing Management of Patients with Cardio-Vascular, Circulatory and Hematological Disorders.	-Assessment of cardio-vascular functions. - Management of patients with cardio-vascular diseases. - Management of patient in I.C.U. and C.C.U. - Management of patient with cardio-vascular surgery. - Assessment and management of circulatory, hematological disorders and problems of peripheral circulation. - Phlebotomy Procedure in blood donors. - Sample and request for blood transfusion. - Safety checks and records for blood transfusion. - Adverse transfusion reaction and their management. - Blood bank functioning-Hospital transfusion committee. - Blood donor care, post donation management, counseling of blood donors. - Inventory of necessary requirement for the transfusions.
	Nursing Management of Patients with Communicable Diseases	- Assessment. - Review of infection, how it spreads and its control. - Preparation, care and administration of antisera and vaccines. - Isolation- review of epidemiology and control measures. - Management of various infection diseases. <u>DISEASES CAUSED BY:</u> <u>Virus</u>- Measles Chicken pox, Influenza, Small pox, Mumps Encephalitis, Infective Hepatitis, Poliomyelitis, Rabies, AIDS. <u>Bacteria</u> - Diphtheria, Whooping Cough, Tetanus Typhoid, Dysentry, Gastro-enteritis, Cholera, Meningococcal Meningitis, Tuberculosis. Zoonosis - Kala-azar, Plague, Relapsing fever. <u>Mosquito</u> - Malaria, Filaria, Yellow fever, Dengue

		fever.
	Nursing Management of Patients with Sexually transmitted diseases.	- Sex health and hygiene. - Gonorrhoea, Syphilis, Granuloma venerium, Chancroid, Granuloma inguinale and AIDS
Midwifery and Gynecological Nursing	Embryology and foetal development	- Foetal skull : diameters, frontanelles, sutures and their importance. -Foetal circulation
	Nursing Management of Pregnant Women	- Reproduction health - Genetic counseling - Physiological changes in pregnancy - Diagnosis of pregnancy : history, signs and symptoms and investigations - Influence of hormones - Prenatal care: objectives, history talking, calculation of expected date of delivery, routine examinations. - Health education: breast care, diet in pregnancy antenatal exercises. - Preparation for hospital/home delivery. - Immunisation -Minor disorders of pregnancy and its management
	Nursing Management of women in Labour	• Definition, stage and duration -Causes of onset of labour - True and false labour A-. First stage of Labour - Signs of onset of labour - Physiological changes in first stage of labour - Management - preparation of labour room - Preparation of women in labour: Physical and psychological - Equipments for normal delivery - Care: physical, psychological, monitoring of maternal and foetal condition. - Vaginal examination; indications, articles, technique B. Second stage of labour - Signs of second stage - Mechanism of labour - Monitoring of maternal and foetal condition - Physical and Physiological care - Procedure for conduct of normal delivery - Prevention of perineal teal. - Episiotomy, suturing and care C. Third Stage of labour - Signs, physiological changes - Management : immediate baby care, technique of placental expulsion, monitoring maternal condition examination of placenta and its membranes, blood loss. - Immediate postnatal care/ fourth stage of labour.

		D. Conduct of home delivery
	Nursing Management of Baby at birth	- Assessment - Review of physiology of new born - Apgar scoring, examination for defects (head to foot Examination) - Infant feeding : breast feeding, artificial feeding - Care of skin, eyes, cord, buttocks - Psychology and perception of new born - Minor disorders of new born: birth marks, rashes, skin infections, sore buttocks, infections of eyes - Jaundice of new born - Major disorders : birth asphyxia, resuscitation measures, haemolytic disease (RH factor) - Infections and birth injuries
	Nursing Management of Mother during puerperium	-Definition, objectives of care - Immediate postnatal care (care during 4th stage of labour) - Physiological changes during puerperium - Psychosocial aspects of care - Diet during puerperium - Establishment of lactation and breast care - Perineal care - Postnatal exercises - Postnatal examination, followup, family welfare - Minor ailments and its management
	Complications of Pregnancy and its managements	- Bleeding in early pregnancy - Bleeding in late pregnancy - Pregnancy induced hypertension, pre-eclampsia, eclampsia - Hydramnios, oligohydramnios -Hydatidiform mole - pelvic inflammatory diseases - Post maturity
	High Risk Pregnancy and its managements	- Concept, factors - Anaemia, Jaundice, Viral infections - Urinary tract infections, Heart Diseases, Diabetes Mellitus, Osteomalacia, Sexually Transmitted Diseases, AIDS - Teenage pregnancy, Elderly primigravida, Multipara - Multiple pregnancy
	High Risk Labour and its Managements	- Malpositions, Malpresentations: occipitoposterior position face, brow shoulder and breech presentation. - Contracted pelvis: definition, causes, diagnosis, management and trial of labour. - Abnormal uterine action: hypotonic and hypertonic action, bandl's ring, contraction ring, precipitate labour - Cervical dystocia - Early rupture of membranes, prolonged labour, induction of labour. - Obsructed labour rupture of uterus. - Obstetrical emergencies: cord presentation, cord

		prolapse, amniotic fluid embolism, obstetric shock - Complications of third stage: post partum haemorrhage, atonic uterus, retained placenta and membranes, inversion of uterus.
	Complications of Puerperium and its managements	- Puerperal pyrexia, Puerperal sepsis, Thrombophlebitis, Embolism, Puerperal psychosis. - Mastitis, Breast abscess
	Obstetric operations	- Manual removal of placenta. - Version: internal, external. - Forceps delivery - Vacuum extraction - Caesarean section. - Medical termination of pregnancy. - Laproscopic sterilization - Embryotomy
Gynaeco logical Nursing	Sexually Transmitted diseases and their prevention	- Syphilis, gonorrhoea, warts. - Acquired Immuno Deficiency syndrome (AIDS)/HIV
	Breast Disorders	- Mastitis - Breast abscess - Tumours - Malignancy
Commun ity Health Nursing - II	Health Planning in India	- National Health Policy - National Health Planning - Five year plans - Health committees and reports
	Specialized community Health Services and Nurse's role	- R.C.H. (Reproductive health and child care) - School health services - Industrial nursing - Geriatric nursing - Care of the handicapped: physically and mentally challenged. - Rehabilitation nursing
	Nurse's Role in National Health Programmes	- Major health problems in India - National control and development programmes - National eradication programmes - Nurse's role in national health programmes.
	Demography and Family Welfare (Family Welfare)	- Family planning methods - Family welfare policy - National programmes - Nurse's role in family welfare programmes
	Vital Health Statistics	- Concept - Uses - Sources - Important rates and indices - Vital health records and their utility
Paediatri c Nursing	The Newborn A- Characteristics of New Born and Physiologic status	- Assessment of the new born: head to toe assessment (physical assessment), neurological assessment. - Nursing care of the normal/Healthy new born

	of the new born.	including home care. - Breast feeding-concept of Baby Friendly Hospital Initiative.
	B- Common health problems - medical and nursing managements of	- Hyperbilirubinaemia, haemolytic disorder, neonatal hypoglycaemia, sepsis, oral thrush, impetigo, erythema toxicum, hypothermia, neonatal convulsions. - Birth injuries of muscles and peripheral nerves, injuries of bones, soft tissue injury and injury of nervous system.
	C- High Risk New Born	- Definition: small for dates, Low birth weight - Common health problems of preterm, post term and low birth weight infants and their nursing, management. - High risk to new born of HIV+ve mother, diabetic mother, its medical and nursing care.
	The Healthy Child	Growth and development: Definition, principles, factors affecting growth and development, techniques of assessment of growth and development, importance of learning about growth and development. The Infant Growth and development during infancy Health Promotion during infancy: - Nutrition counseling and supplementary Diet , immunization. - Safely and security including prevention of accidents, play and toys. The Toddler - Growth and development of Toddler. - Health promotion during toddler hood, nutrition counseling, toilet training, immunization, safety and prevention of accidents, guidance to parent on toddler's care, play and toys. The Pre-Schooler - Growth and development during pre-school years. - Health promotion during pre-school years, nutritional guidance, safety and security, day care centres/nursery school, play, role of parents in sex education of child.
	The Sick Child	- Role of nurse in helping child and family in coping with stress of hospitalization and illness. • Nursing interventions and adaptations in nursing care of sick child. - Preparation of child for diagnostic tests, collection of specimens . - Calculation and administration of oral and parenteral medications. - Procedures related to feeding: formula preparation, gavage, gastrostomy feeding.

		- Use of play as nursing intervention - Care of child in incubator - Stem tent inhalation - Immobilised child
	Behavioural Disorders and common Health Problems during Childhood, their Prevention, Medical and Nursing Management (Infancy)	• Infancy - Nutritional disturbances, allergies, dermatitis, vomiting, diarrhea, failure to thrive, resistance to feeding, colic, anxiety.
	Children with congenital Defects/Mal formations	• Etiology, signs, symptoms, complications, medical, surgical and nursing management of: - Malformations, of the central nervous system- cranial deformities, defects of spinabifida, meningocele, hydrocephalus, cerebral palsy, neural tube closure. - Skeletal defects-cleft lip and palate. - Defects of Gastro-intestinal tract- Oesophageal atresia and fistula, anorectal malformations, hernia, congenital hypertrophied pyloric stenosis. - Defects of Genitourinary tract- Hypospadiasis, epispadiasis, extrophy of bladder, phimosis, cryptrochidism, polycystic kidney. - Defects of cardio- vascular system- Congenital heart diseases, major acyanotic and cyanotic defects. - Orthopeadic Abnormalities - Club foot, development abnormalities of extremities.
	Children with various disorders and diseases	• Etiology, signs, symptoms, complications, prevention, medical, surgical and nursing management of : - Disturbances of fluid and electrolyte balance : imbalance, burns, disturbance of renal function, acute and chronic glomerulonephritis, acute and chronic renal failure.
	Welfare of Children	- Child welfare services, agencies, balwarie, anganwarie, day care centres, midday meal programme. - National child labour policy. - Internationally accepted rights of the child.

प्रारूप–1
(देखें नियम 2.18)

प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन
(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर..................................
आवेदक का नाम......................................

स्थान ....
दिनांक ....

प्रारूप–2
(देखें नियम 2.19)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन
(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

स.क्र.	उत्तर क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यार्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर..................................

दिनांक ....

प्रारूप–3

संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाऍ के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के लिए स्टाफ नर्स के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन परीक्षा–2013

मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसेः–बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटाग्राफ संलग्न करे

1. आवेदक का नाम :– ....
2. पिता का नाम :– ....
3. माता का नाम :– ....
4. लिंग (पुरूष / महिला) :– ....
5. जन्मतिथि :– ....
6. आदिम जनजाति का नाम :– ....
7. वर्ग (विकलांग / भूतपूर्व सैनिक) :– ....
8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :– ....
9. कार्यअनुभव का विवरण :– ....
10. विशेष / अन्य विवरण :– ....
11. श्रेणी का विवरण (नियम पुस्तिका की कण्डिका 1.3 अनुसार):–

स.क्र.	श्रेणी	पदनाम
1.	अनुसूचित जनजाति	1.

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :–......................................

दिनांक :– ....

निवास का पता :– ....

....

दूरभाष / मोबाईल नं. :–..

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रः–

1. कक्षा दसवी की अंकसूची
2. कक्षा बारहवी की अंकसूची
3. नियम पुस्तिका की कण्डिका 1.4 में उल्लेखित पदवार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता सें संबंधित अंकसूची / प्रमाण पत्र
4. मध्यप्रदेश का मूलनिवासी प्रमाण पत्र
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
7. भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक होतो)

<u>सहमति प्रमाण–पत्र</u>

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाऍं के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियो के लिए स्टाफ नर्स के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन परीक्षा–2013 के लिए तैयार की गई नियमपुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियम व जानकारी की पुष्टि व सहमति प्रदान की जाती है तथा अध्याय–1, 2 व 3 में दी गई समस्त जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा। तैयार नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तद्नुसार यह सहमति प्रमाण–पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

भोपाल, दिनांक :

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम :–...
पदनाम :–...
सील :–...

———————————————————————————————————————